



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102020-222688
CG-DL-E-23102020-222688

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 541]
No.541]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 22, 2020/आश्विन 30, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2020/ASVINA 30, 1942

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2020

सा. का. नि. 663(अ).—/आ. व./ईख-ईख (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि मिलवार उचित और लाभकारी मूल्य निर्धारित करने के लिए उक्त आदेश के खंड 3(1) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग चीनी मिलों के लिए चीनी मौसम 2019-20 से जिस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में चीनी मिल स्थित है, उसकी सरकार द्वारा किया जाएगा।

[फा. सं. 3 (2)/20120-एस पी-II]

सुबोध कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Food and Public Distribution)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd October, 2020

G.S.R 663(E).—/Ess. Com/Sugarcane:—In exercise of powers conferred by clause 11 of the Sugarcane (Control) Order, 1966, the Central Government hereby directs that powers conferred on it by Clause 3(1) of the said Order for fixing mill-wise FRP, shall be exercisable by the State Government/Union Territory from sugar season 2019-20 onwards for the sugar mills wherein the concerned sugar mill is located.

[F. No. 3(2)/2020-SP-II]

SUBODH KUMAR SINGH, Jt. Secy.